प्रेषक, **ई–मेल**

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
शामली।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0
गोमती नगर, लखनऊ ।

पत्रांक– 70 /जि0उ0वि0प्रति0आ0शामली/22 दिनांक 18 अप्रैल, 2022

विषयः–मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु विज्ञप्ति को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली में मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु आवेदन की तिथि 17 मार्च, 2022 नियत करते हुए दिनांक 10 मार्च, 2022 को विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु भेजी गयी थी। परन्तु अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है।

अतः मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु इस जिला आयोग की विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18.4.22

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
शामली

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली
मौह0 शिव विहार कालोनी, रेलपार, शामली–247776
सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 75, उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना– CP-480/2021/84-2-2021-CN/1369528, 15.11.2021के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडो को पूरा करते हैं:–

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अर्ह होंगे:–

1–भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

2–उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

3–उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य।

4–सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य।

5–दस वर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी।

6–वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता।

7–भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध मध्यस्थ।

8–मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 05 वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति।

9–न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अनर्ह होंगे।

1–ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो।

2–ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हों और लंबित पड़े हों।

3–ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है।

4–ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो।

5–**आवेदक को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को सायं 04:00 बजे तक** अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली शिव विहार कालोनी रेलपार शामली–247776 में प्रेषित किया जाय। इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। साथ ही इस संबंध में यह भी सूच्य है कि पैनलबद्ध मध्यस्थ को मध्यस्थों के नियम और शर्ते मध्यस्थों को देय शुल्क सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 एवं उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम–2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम–2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगी। पूर्ण जानकारी एवं आवेदित प्रारूप पत्र को विभाग की बेवसाईट http://scdrc.up.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

6–चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जांच और शार्टलिस्टिंग व अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रकिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदंड को अपना सकती है।

7–इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक–1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते हैं।

आदेश द्वारा प्रकाशित

(हेमन्त कुमार गुप्ता) 18/4/22
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
शामली

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
शामली

अनुलग्नक–1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो

1–आवेदक का नाम (हिन्दी में):–

2–आवेदक का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरो में):–

3–आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):–

4–आवेदक की जन्म तिथि:–

5–आवेदक की शैक्षिक योग्यता:–

6–आवेदक का पता (हिन्दी में):–

7–आवेदक का मोबाईल नम्बर:–

8–आवेदक की ई–मेल आई0डी0:–

9–अन्य विवरण जिसका सम्बन्ध निम्न से हो:–

10–यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यकता/सुलह में न्यूनतम 05 वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें।

11–क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गयाा है–

12–क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हैं और लंबित पड़े हैं–

13–क्या आवेदक को किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है–

14–क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है–

दिनांक:–

स्थान–

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम

संलग्नक–

घोषणा पत्र

एतद्द्वारा मैं यह घोषणा करता हुँ/करती हुँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में जो भी सूचनायें अंकित की गयी हैं वह सत्य हैं। भविष्य में यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक:–

स्थान–

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम

टिप्पणियाँ

1–आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

2–सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन की हार्ड कापी इस कार्यालय में दिनांक 30.04.2022 को सायं 4:00 बजे तक या उससे पहले पहुच जानी चाहिए।